श्री अर्जुन मुण्डा
मुख्यमंत्री

झारखण्ड सरकार

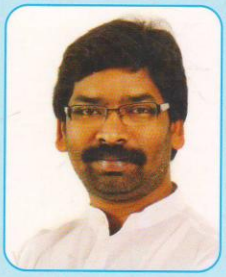

श्री हेमन्त सोरेन
उप मुख्यमंत्री

श्री हेमन्त सोरेन

माननीय उप मुख्यमंत्री

– सह –

वित्तमंत्री

का

बजट अभिभाषण

राँची, दिनांक 7 मार्च 2011

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2011–12 का वार्षिक बजट सदन के पटल पर रख रहा हूँ। माननीय श्री शिबु सोरेन जी अध्यक्ष, समन्वय समिति के मार्गदर्शन एवं हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्ववाली हमारी सरकार का प्रथम वार्षिक बजट सदन के पटल पर रखते हुए मैं गौरव महसूस कर रहा हूँ। हमारी सरकार को यह सौभाग्य प्रदान करने के लिए राज्य की जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

सरकार की कमान युवाओं ने संभाली है,
सदन का लेकर विश्वास, विकास की ज्योति जलानी है ।

2. गत् वर्षों में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। इसके साथ ही केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण पेट्रोल, डीजल, स्टील, सीमेंट एवं खाद्य पदार्थों के मूल्यों में हुई वृद्धि ने आम जनता को भी प्रभावित किया है। बढ़ी महँगाई के कारण भी निर्माण कार्यों की राशि में बढ़ोत्तरी हुई है। लगातार दो वर्षों से झारखण्ड राज्य सुखाड़ की मार झेल रहा है। इस संकट से निबटने हेतु केन्द्र सरकार से मदद की अपेक्षा की गई, परन्तु केन्द्र सरकार से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया। मै विपक्ष से आग्रह करता हूँ कि विकास के नाम पर एकजुटता दिखायें एवं केन्द्र सरकार पर दबाव बनाकर राज्य के विकास में अपना सहयोग दें।

3. इन अवरोधों के बावजूद झारखण्ड की अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर हासिल किया है। वर्ष 2009–10 के लिये आकलन के अनुसार कुल GSDP 1,06,358 करोड़ रुपये है। वर्ष 2009–10 में विकास की दर 12.19 प्रतिशत रही। 13वें वित्त आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के लिये वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु 13.7 प्रतिशत तथा वर्ष 2011–12 के लिये 14.14 प्रतिशत के विकास दर का अनुमान लगाया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड राज्य के लिये वित्तीय वर्ष 2011–12 में GSDP 1,38,028 करोड़ रुपये का अग्रिम अनुमान किया गया है।

4. **FRBM Act, 2007** के द्वारा राज्य के वित्तीय सूचकांकों का लक्ष्य निर्धारित है। राजस्व घाटा (Revenue Deficit) को समाप्त करना तथा राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को GSDP के 3 प्रतिशत से कम करने के लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है।

5. राज्य सरकार **आंतरिक वित्तीय संसाधनों** में वृद्धि करने के लिये प्रयासरत है। वर्ष 2009–10 में 8,118 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य के विरुद्ध 6,192 करोड़ रुपये की वसूली हुई। चालू वित्तीय वर्ष में गत् वर्ष की अपेक्षा 1,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व वसूली की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में आंतरिक राजस्व वसूली में काफी वृद्धि होने की संभावना है। सरकार ने अपनी मशीनरी एवं डिलीवरी सिस्टम को दुरूस्त कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का संकल्प लिया है।

6. वाहनों के पंजीकरण तथा भू निबंधन की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव स्वीकृति के विभिन्न चरणों में है। केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में वर्ष 2010–11 में प्राप्त 6,154 करोड़ रुपये की अपेक्षा वर्ष 2011–12 में 7393 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है। आंतरिक संसाधनों में वृद्धि के लिये सरकार कठोर कदम उठाने से भी नहीं हिचकेगी क्योंकि बगैर संसाधनों के विकास संभव नहीं है।

7. अध्यक्ष महोदय, राजस्व वृद्धि के फलस्वरूप झारखण्ड राज्य अपने योजना आकार में वृद्धि करने में सफल रहा है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में 8,015 करोड़ रुपये, वर्ष 2009–10 में 8,200 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2010–11 में 9,590 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2011–12 का योजना आकार 15,300 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। यह वर्ष 2008–09 की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत अधिक है। योजना व्यय में निरंतर वृद्धि के बावजूद राज्य सरकार राज्य के लिये निर्धारित वित्तीय सूचकांकों का पालन करने में सफल रही है।

8. राज्य सरकार की **ऋण देनदारियाँ** भी निर्धारित सीमा के अन्तर्गत हैं । वर्ष 2009–10 में राज्य सरकार का बकाया ऋण देनदारी कुल 23,505 करोड़ रुपये था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 22.10 प्रतिशत है। वर्ष 2011–12 के लिये बकाया ऋण देनदारी का आकलन 22.17 प्रतिशत किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि 13वें वित्त आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के लिये वर्ष 2011–12 में इस लक्ष्य को 28.5 प्रतिशत रखा गया है।

9. 13वें वित्त आयोग द्वारा **केन्द्रीय करों के विभाजन** के लिये तैयार किये गये त्रुटिपूर्ण फार्मूला के कारण झारखण्ड राज्य को वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि में लगभग 8,100 करोड़ रुपये की

राशि से वंचित होना पड़ेगा। इस फार्मूला के फलस्वरूप केन्द्रीय करों (सेवा कर छोड़ कर) में झारखण्ड की हिस्सेदारी 3.362 प्रतिशत से घटकर 2.802 प्रतिशत हो गई है। सेवा कर में भी राज्य की हिस्सेदारी को 3.405 प्रतिशत से घटाकर 2.846 प्रतिशत किया गया है। **इस प्रकार, केन्द्रीय करों के हिस्से में कुल 0.56 प्रतिशत की कमी आई है, जिसके फलस्वरूप राज्य को 5 वर्षों में 8,100 करोड़ रुपये से वंचित रहना पड़ेगा। इस मुद्दे को हमें भारत सरकार के समक्ष दृढ़ता से रखना होगा। इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाकर यह सदन देश में एक मिसाल कायम कर सकता है।**

10. झारखण्ड राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये 13वें वित्त आयोग द्वारा **State Specific Grant** के रूप में झारखण्ड राज्य को अगले चार वर्षों में कुल 1,425 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इस अनुशंसा में 10,000 आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु 432 करोड़ रुपये, पुलिस ट्रेनिंग के लिये आधारभूत संरचना हेतु 73 करोड़ रुपये, पुलिस हाउसिंग हेतु 225 करोड़ रुपये, नये ITI के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये, Heritage Conservation हेतु 100 करोड़ रुपये, ब्लॉक भवन एवं आवासीय भवन हेतु 270 करोड़ रुपये एवं आदिम जनजातियों के विकास हेतु 125 करोड़ रुपये शामिल है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग की राशि के रूप में राज्य को 674.26 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी जिसका शत-प्रतिशत उपयोग करना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. **अध्यक्ष महोदय, सदन को यह बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में 15,300 करोड़ रुपये का Plan outlay प्रस्तावित है।** आगामी वित्तीय वर्ष में **सड़क निर्माण को सर्वाधिक प्राथमिकता** दी गई है। जिला एवं राज्य स्तरीय उच्च मार्गों के निर्माण पर कुल 1,700 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे, जो कि कुल योजना व्यय का 11.11 प्रतिशत है। वर्ष 2010-11 की अपेक्षा यह प्रावधान 141 प्रतिशत अधिक है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिये 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। यानि, राज्य में पथों के निर्माण के लिये कुल 2,100 करोड़ रुपये का योजना उद्व्यय प्रस्तावित है, जो कि कुल योजना का 13.72 प्रतिशत है।

12. इसके अतिरिक्त ऊर्जा पर 1,600 करोड़ रुपये (10.46 प्रतिशत) का व्यय प्रस्तावित है, जो

वर्ष 2010–11 के प्रावधान की अपेक्षा 107 प्रतिशत अधिक है। कल्याण एवं समाज कल्याण पर 1,255 करोड़ रुपये (10.16 प्रतिशत), सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल संसाधन पर 1,550 करोड़ रुपये (10.13 प्रतिशत), शिक्षा पर 1,200 करोड़ रुपये (7.84 प्रतिशत), ग्रामीण विकास पर 1,150 करोड़ रुपये (7.52 प्रतिशत), नगर विकास पर 1,050 करोड़ रुपये (6.86 प्रतिशत), खाद्य एवं आपूर्ति हेतु 760 करोड़ रुपये (4.97 प्रतिशत), पंचायती राज हेतु 900 करोड़ रुपये (5.88 प्रतिशत), श्रम नियोजन हेतु 720 करोड़ रुपये (4.71 प्रतिशत), स्वास्थ्य प्रक्षेत्र पर 647 करोड़ रुपये (4.23 प्रतिशत), कृषि, पशुपालन एवं अन्य पर 500 करोड़ रुपये (3.56 प्रतिशत) एवं परिवहन पर 455 करोड़ रुपये (2.97 प्रतिशत) का उद्व्यय निर्धारित किया गया है।

13. राज्य में राष्ट्रपति शासन के बाद हमारी सरकार को राज्य की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। राज्य में विगत् दो वर्षों से सुखाड़ की गंभीर स्थिति होने, राज्य कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जाने के फलस्वरूप गैर योजना व्यय में भारी वृद्धि तथा केन्द्रीय करों में 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के कारण हिस्सेदारी में आई कमी के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव पड़ा है। **परन्तु, हमारी सरकार बुलंद हौसलों के साथ इन सारी स्थितियों का सामना करने के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए भी सक्षम है।**

14. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के चौतरफा विकास के लिए आधारभूत संरचना पर विशेष जोर दिया जाना आवश्यक है, जिससे कि दूरगामी परिणाम प्राप्त हो सकें। वित्तीय वर्ष 2011–12 का यह बजट आधारभूत संरचना की ठोस बुनियाद, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती एवं औद्योगिक माहौल को पैदा किये जाने के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। संसाधनों में बढ़ोत्तरी कर राजस्व अधिकाई बरकरार रखना, राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 14 प्रतिशत की दर से वृद्धि करना, राज्य कोषीय घाटा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक सीमित रखना, औद्योगिक विकास के लिए सड़क जैसी आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जाना, ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस राज्य के रूप में विकसित होना, सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराया जाना, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दिया जाना, राज्य में रोजगार के अन्य अवसरों का सृजन किया जाना, कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाया जाना एवं सुखाड़ जैसी विपत्ति से निपटने हेतु तंत्र को मजबूत किया जाना इस बजट का मुख्य उद्देश्य है।

15. **अध्यक्ष महोदय,** सरकार द्वारा प्रस्तुत यह वार्षिक बजट सरकार की प्राथमिकताओं एवं नीति का आधार है। मैं अब विभागवार बजट की प्रमुख एवं महत्वपूर्ण योजनाओं को सदन के समक्ष रखना चाहूँगा। परन्तु इसके पहले दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा –

''अतीत से लेकर सबक नींव मजबूत बनानी होगी,
अधूरे कामों को पूरा कर, नई शुरूआत करनी होगी।''

कृषि प्रक्षेत्र

16. झारखण्ड राज्य मुख्यत: ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। यहाँ 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि एवं संबंधित प्रक्षेत्र पर निर्भर रहती है। राज्य में 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, परन्तु मात्र 22 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही खेती की जाती है, जो कि अधिकतर वर्षा आधारित है। मानसून की कमी के कारण उत्पन्न सुखाड़ के फलस्वरूप राज्य में कृषि उत्पाद पर प्रतिकूल असर पड़ा है। कृषि उत्पाद के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कई महत्वपूर्ण योजनाएँ प्रस्तावित हैं। **अध्यक्ष महोदय, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, किसानों को सही दाम, गरीब मजदूरों को अनाज उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है।**

17. वर्ष 2011–12 के लिए कृषि प्रक्षेत्र में **360 करोड़ रुपये** की योजना के कार्यान्वयन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के किसानों को **झारखण्ड कृषि कार्ड** उपलब्ध कराने की नई योजना चालू की जायेगी, जिसमें उन्हें दी गई सभी प्रकार की अनुदानित सुविधाओं का उल्लेख रहेगा। इसके अतिरिक्त सरकार उन्नत बीजों के क्रय की प्रथा को समाप्त कर किसानों को यह छूट देगी कि वे अपने मनपसन्द डीलरों से उन्नत बीजों का क्रय कर सकें। किसानों को हर प्रकार की मदद पहुँचाने के प्रति सरकार गंभीर एवं संवेदनशील है।

18. **बीज विनिमय कार्यक्रम** के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 80,575 क्विंटल बीज अनुदान पर किसानों के बीच वितरित किये गये हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य Seed Replacement दर को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत तक लाना है। इसी प्रकार, वैकल्पिक फसल योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में सुखाड़ की स्थिति से निबटने हेतु 22,911 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। राज्य में बीज की उपलब्धता

आवश्यकता के अनुरूप हो, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 145 बीज ग्रामों की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में RKVY योजना के तहत् 246 करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पशुपालन प्रक्षेत्र

19. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कृषि के साथ **पशुपालन एवं मत्स्य प्रक्षेत्र** का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के ग्रामीण परिवारों की आय वृद्धि तथा महिलाओं को स्वरोजगार का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने में पशुपालन व मत्स्य पालन कार्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण है।

20. अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2011–12 में ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादन तथा बिक्री सुनिश्चित करने हेतु कुल 50 गोकुल विकास केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। कुल 9,243 उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही, कुल 4,700 पशुपालकों को प्रशिक्षण एवं 50 पशुपालक गोष्ठी के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। **दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु 2011–12 में 66 करोड़ रुपये** से योजनाओं का कार्यान्वयन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

21. झारखण्ड गठन के बाद दुग्ध उत्पादन 26.05 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर वर्ष 2009–10 में लगभग 47.26 लाख लीटर प्रतिदिन किया गया है। वर्ष 2011–12 के अंत तक इसे 58.36 लाख लीटर किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु बायफ (BIAF) के माध्यम से 510 डेयरी तकनीकी विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 500 **नये डेयरी तकनीकी विकास केन्द्रों** की स्थापना एवं इसके संचालन का जिम्मा बायफ (BIAF) को सौंपा गया है। बायफ (BIAF) के माध्यम से संचालित केन्द्रों द्वारा पिछले 4 वर्षों में नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 10–15 लीटर प्रति दिन दुग्ध उत्पादन क्षमता की 43,811 उन्नत नस्ल की बछिया उत्पन्न हुई है।

मत्स्य प्रक्षेत्र

22. अध्यक्ष महोदय, राज्य में 1 लाख 15 हजार मिट्रिक टन मछली की आवश्यकता है, जिसके

विरुद्ध 70 हजार मिट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। वर्तमान वर्ष में 90 हजार मिट्रिक टन के उत्पादन का लक्ष्य है। **वित्तीय वर्ष 11–12 के लिए मत्स्य प्रक्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन हेतु 30 करोड़ रुपये की राशि कर्णांकित की गयी है।** तालाब मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत 100 करोड़ मछली बीज के उत्पादन का लक्ष्य वर्ष 2011–12 में रखा गया है। मत्स्य बीज की मांग को पूर्ण करने के उद्येश्य 60 निजी हेचरी के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र का गठन किया गया है जिसमें 6,000 मत्स्य पालकों को तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवहारिक एवं प्रायोगिक ज्ञान दिये जाने की योजना है।

पथ निर्माण प्रक्षेत्र

23. अध्यक्ष महोदय, आधारभूत विकास के क्षेत्र में सड़क निर्माण को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य गठन के पश्चात् 4,300 किलोमीटर के राज्य उच्च/जिला पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य वर्ष 2009–10 तक सम्पन्न किया गया है। वर्ष 2010–11 में 350 किलोमीटर एवं 12 पुलों का निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

24. **पथ निर्माण के क्षेत्र में 1,700 करोड़ रुपये की योजना वर्ष 2011–12 के लिए तैयार की गयी है।** कुल 1015 किलोमीटर के पथों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य के साथ–साथ कुल 25 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। **साहेबगंज में गंगा नदी पर पुल निर्माण** की योजना का कार्यान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। उच्चस्तरीय सड़क निर्माण में त्वरित कार्रवाई हेतु राज्य सरकार द्वारा Jharkhand Accelerated Road Construction Company Ltd. का गठन भी किया गया है, जिसके माध्यम से 1500 किलोमीटर पथों का उन्नयन Built Operate And Transfer के आधार पर कराया जायेगा। इस उपक्रम के द्वारा राँची–पतरातू–रामगढ़ पथ एवं राँची रिंग रोड के सेक्शन 3, 4, 5 एवं 6 पर कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2011–12 में **चाईबासा–सरायकेला कांडरा–चौका पथ एवं आदित्यपुर कांडरा पथ निर्माण** इस उपक्रम के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव है। सड़क निर्माण को गुणवत्ता पूर्ण बनाये रखने के लिए Quality Control Directoriate की स्थापना भी की जायेगी।

25. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के तहत वर्ष 2009–10 तक 3,060 बसावटों को 5788

किलोमीटर पथ निर्माण कर जोड़ा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में अब तक इस योजना के तहत 1,225 किलोमीटर पथ निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिससे 4,304 बसावटों को सम्पर्क पथ उपलब्ध हो सकेगा। **ग्रामीण कार्य विभाग हेतु वर्ष 2011–12 में कुल 400 करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया है।** इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में 8,500 किलोमीटर ग्रामीण पथ के निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

ग्रामीण विकास प्रक्षेत्र

26. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को लागू करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से ही राज्य की आर्थिक स्थिति में मूल परिवर्तन आयेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा **ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1,150 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।** राज्य के दूर–दराज क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हों, इसके लिए युद्ध स्तर से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा।

27. **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (MGNREGA)** के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 32,989 योजना पूर्ण की गई है तथा लगभग 5 करोड़ 81 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है। वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में प्रति पंचायत 50 सिंचाई कूप की दर से **2 लाख 21 हजार सिंचाई कूप** का निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2011–12 में इस योजना के अन्तर्गत 2,500 करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

28. **इंदिरा आवास योजना** के तहत सामान्य क्षेत्रों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1,67,691 आवासों का निर्माण एवं 9,202 आवासों के उन्नयन का लक्ष्य है। इसी प्रकार नक्सल प्रभावित जिलों के लिए अब तक 54,970 आवासों का निर्माण एवं 23,660 आवासों का उन्नयन किया जा चुका है। आदिम जनजाति बाहुल्य चार जिलों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 5,665 आवासों का नवनिर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल एक लाख इंदिरा आवास के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

29. **मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना** के अंतर्गत प्रखण्ड तथा पंचायत मुख्यालय को अन्य गाँवों से जोड़ने वाले पथों पर पुल–पुलियों का निर्माण कराने की महत्वाकांक्षी योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 88 पुल–पुलियों का निर्माण किया जा चुका है। **वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए 216.92 करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया है।**

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले प्रक्षेत्र

30. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार पूर्ण खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इस दिशा में सार्थक प्रयास के रूप में जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। **झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि.** का गठन किया जा चुका है तथा इसके माध्यम से अनाज वितरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

31. खाद्य सुरक्षा में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 7,500 महिला सहायता समूहों को जोड़ा गया है। वर्ष 2011–12 में राज्य सरकार द्वारा 5,000 **महिला स्वयं सहायता समूहों** को जन वितरण दुकान की लाईसेंस देने की कार्रवाई की जायेगी।

32. ग्रामीण अन्न कोष योजना के अंतर्गत राज्य में 529 ग्रामीण अन्न कोष में 40 क्विंटल प्रति अन्नकोष की दर से चावल भंडारण करने के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में ऐसे ही 417 ग्रामीण अन्न कोष स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

33. खाद्यान्न भंडारण हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 1,000 टन के 17 गोदाम, 259 प्रखंडों में प्रति प्रखंड 250 टन का गोदाम निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1,000 मिट्रिक टन के 33 गोदामों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। खाद्य आपूर्ति की विभिन्न योजनाओं को पूर्ण करने के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में 760 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

पेयजल एवं स्वच्छता प्रक्षेत्र

34. अध्यक्ष महोदय, प्रकृति की नाराजगी के कारण उत्पन्न जल संकट पर माननीय विधायकों की

चिन्ता के प्रति सरकार गंभीर है। इस जल संकट से निपटने के लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी। **इसी कड़ी में हमने प्रति पंचायत दस–दस चापाकल माननीय सदस्यों की अनुशंसा के आधार पर लगाने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त NRDWP के तहत प्रत्येक पंचायत में एक ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना भी शुरू की जायेगी।**

35. **ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना** के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 88 ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अबतक 35 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है, जबकि इस वर्ष के अन्त तक 28 और योजनाओं को पूर्ण किये जाने की संभावना है। इस योजना के तहत् वर्ष 2011–12 में 31.19 करोड़ रुपये की लागत से 37 नयी ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण कराया जायेगा, जिससे 1.25 लाख ग्रामीण लाभान्वित होंगे।

36. **विखरित स्रोत योजना** के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्रति पंचायत 5–5 नलकूपों के निर्माण के अन्तर्गत 4,003 नलकूपों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध 3,509 नलकूपों का निर्माण किया जा चुका है। शेष नलकूपों को वर्ष 2011–12 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

37. **शहरी जलापूर्त्ति योजना** के अन्तर्गत राँची एवं देवघर में योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। धनबाद शहरी जलापूर्त्ति योजना का कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2011 में चालू किये जाने का लक्ष्य है। मानगो, जुगसलाई, बिरसा बागुनहातु, चतरा, कतरास, चास एवं जसीडीह शहरी जलापूर्त्ति योजना का कार्य भी प्रगति पर है, जिसे वित्तीय वर्ष 2011–12 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

38. सुखाड़ को दृष्टिपथ करते हुए राज्य के प्रत्येक पंचायत में **2-2 HYDT (उच्च प्रवाही) नलकूपों** का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। झारखण्ड के जल स्रोत अनवरत कार्यरत रहें, इसके लिए विभाग द्वारा ग्रामीण झारखण्ड एवं स्वच्छता समिति का गठन कर नलकूपों की मरम्मति का कार्य ग्रामीणों को उचित प्रशिक्षण देकर करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए विभिन्न जलापूर्त्ति योजनाओं को लागू करने के लिये 300 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

जल संसाधन प्रक्षेत्र

39. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011–12 में लघु सिंचाई से संबंधित योजनाएँ यथा चेकडैम एवं Series चेकडैम के निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी। महत्वपूर्ण है कि **वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए सिंचाई परियोजना हेतु 1,550 करोड़ रुपये की योजना उद्व्यय (Plan Outlay) निर्धारित** किया गया है, जो वर्ष 2010–11 की तुलना में 226 प्रतिशत अधिक है। लघु सिंचाई योजना हेतु 648.7 करोड़ रुपये एवं वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए 886.30 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

40. पूर्व से निर्माणाधीन सात **Major Irrigation Scheme (वृहद् सिंचाई योजनाएँ)** एवं **19 Medimum Irrigation Scheme (मध्यम सिंचाई योजनाओं)** के निर्माण में तेजी लाई जायेगी, जबकि दो नयी Major Irrigation Scheme (वृहद् सिंचाई योजनाएँ) – कनहर जलाशय योजना एवं राढ़ू जलाशय योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व से चली आ रही सिंचाई योजनाओं जैसे – भैरवा जलाशय योजना, रामरेखा जलाशय योजना, केशो जलाशय योजना, सोनुवा जलाशय योजना एवं सुकरी जलाशय योजना को पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 43.98 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के उत्पादन में वृद्धि होने का अनुमान है।

41. वर्ष 2011–12 में **कांची वीयर योजना** का Re-construction (पुनर्निर्माण) कर 1,600 हेक्टेयर भूमि में ह्रासित सिंचाई क्षमता Restoration (पुनर्स्थापित) करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के सुखाड़ क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 13 नई योजनाओं के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किये जाने का भी प्रस्ताव है।

42. **AIBP** के अंतर्गत Series Schemes, जिसके अंतर्गत चेकडैम, नाला सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं अन्य लघु सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं, इन्हें बड़े पैमाने पर कराया जाना प्रस्तावित है। AIBP के अन्तर्गत लगभग 8,000 करोड़ रुपये की सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने पर सिंचाई के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर योजनाओं को लागू किया जायेगा। इन योजनाओं के लागू करने के लिये राज्य योजना मद में 596.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य प्रक्षेत्र

43. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को **गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवा** उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकें, इसके लिये आधारभूत संरचना निर्मित किये जाने का कार्य किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य नीति के आलोक में राज्य के स्वास्थ्य स्तर को राष्ट्रीय औसत के समकक्ष लाने का सतत् प्रयास जारी है।

44. कुल 319 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन का कार्य निर्माणाधीन है। अब तक 97 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष केन्द्रों का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। कुल 82 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है एवं 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष निर्माण का कार्य वर्ष 2011–12 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। 126 प्रखंडों में 30 शैय्यावाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

45. **वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल 647 करोड़ रुपये** का योजना उद्व्यय का लक्ष्य रखा गया है। संथाल **परगना प्रमंडल के दुमका एवं कोल्हान प्रमंडल के खरसांवा में 500 Beded (शैय्यावाले) अस्पताल के भवन निर्माण की योजना को स्वीकृति दी गयी है, जिसे कालान्तर में मेडिकल कॉलेज के रूप में संचालित किये जाने की योजना है।** बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो, एच.ई.सी., राँची एवं सी.सी.एल., राँची द्वारा निजी क्षेत्र के अंतर्गत नये मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। दुमका में डाएगोनेस्टिक सेंटर तथा 300 शैय्यावाले क्षेत्रीय अस्पताल के निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत दुमका के 100 एम.बी.बी.एस. सीटवाले सिद्धो–कान्हो मेडिकल कॉलेज तथा बोकारो में BRIMS खोलने के लिए सरकार द्वारा सहमति दी गई है। इसके अतिरिक्त RIMS में सीटों की संख्या बढ़ाकर 150 तथा PMCH, धनबाद, MGM, जमशेद्पुर में 100–100 करने की कार्रवाई की जायेगी।

46. वर्त्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत **BPL** परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा

है। इसी तरह की योजना राज्य के **APL** परिवारों के लिए लागू करने पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित स्वास्थ्य केन्द्रों को **PPP** मॉडल पर चलाने की कार्रवाई भी की जायेगी। अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सकों के नियमितीकरण की माँग पर नियमानुसार सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

पर्यटन प्रक्षेत्र

47. अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जहाँ वर्ष 2000 में देशी पर्यटकों की संख्या 23,991 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 172 थी, वहीं दिसम्बर, 2010 में देशी पर्यटकों की संख्या बढ़कर 68,22,881 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़कर 9,110 हो गई है। पर्यटकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से 5 पर्यटक सूचना केन्द्रों एवं 14 मार्गीय सुविधाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

48. देवघर में तीर्थ यात्रियों, काँवरियों एवं पर्यटकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जायेगा। लातेहार जिलान्तर्गत नेतरहाट एवं सरायकेला–खरसाँवा जिलान्तर्गत चाण्डिल में Tourist Resort (टूरिस्ट रिसोर्ट) का निर्माण कराया जायेगा। रामगढ़ जिलान्तर्गत रजरप्पा में दर्शक सेतु तथा अन्य पब्लिक ऐमिनिटि आदि का निर्माण कराया जायेगा, ताकि पर्यटकों एवं दर्शनार्थियों को सुविधा उपलब्ध हो सके। राँची जिलान्तर्गत वीर बुधू स्मारक स्थल, गुमला जिलान्तर्गत टांगीनाथ मंदिर परिसर, सिमडेगा जिलान्तर्गत वन दुर्गा पर्यटक स्थल, चतरा जिलान्तर्गत कोलेशवरी मंदिर एवं महादेव पंडा, लातेहार जिलान्तर्गत प्राचीन शिव मंदिर एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत प्राचीन खेवा मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा।

49. पर्यटन के क्षेत्र में झारखण्ड को अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2011–12 में होटल प्रबंधन संस्थान स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। होटल प्रबंधन संस्थान के निर्माण का कार्य ब्राम्बे, राँची में प्रस्तावित है। **पर्यटन क्षेत्र में विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में 25 करोड़ रुपये व्यय का लक्ष्य रखा गया है।**

औद्योगिक प्रक्षेत्र

50. अध्यक्ष महोदय, राज्य की औद्योगिक नीति से आकर्षित होकर राज्य में कई बड़े उद्योग लगाये गये

हैं। **राज्य की जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके हितों की अनदेखी नहीं होने दी जायेगी। सरकार पुनर्वास नीति को नया समरूप देकर एक ऐसा माहौल तैयार करेगी जिसमें सद्भावपूर्ण माहौल में औद्योगिक विकास की मिसाल कायम की जा सके।**

51. **राज्य में स्टील उत्पादन 8 मिलियन से बढ़कर 12 मिलियन टन हो चुका है।** इसके साथ–साथ, पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट की इकाईयों का मुख्य रूप से स्थापना हुई है एवं कई इकाईयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। लघु एवं मध्यम क्षेत्र में कुल 521 उद्योग लगे हैं, जिसमें 184 करोड़ रूपये का पूँजी निवेश हुआ है।

52. रेशम, कौकून का उत्पादन 406 मिट्रिक टन से बढ़ाकर 416 मिट्रिक टन हो गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1,000 मिट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्षेत्र में वर्त्तमान में 65 हजार कृषक जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त 35 हजार लागों को जोड़कर 1 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। लड़िया प्रजाति का कीट पालन साल के वृक्षों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रथम बार सफलतापूर्वक किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में इसे 11 परियोजना केन्द्रों में विस्तारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

53. **समेकित हस्तकरघा विकास योजना** के अंतर्गत 8,000 बुनकरों को प्रशिक्षण तथा उनके लिये भविष्य निधि योजना लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। हस्तकरघा विकास योजना के अन्तर्गत 144 बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को लागू करने के लिये वित्तीय वर्ष 2011–12 में 190 करोड़ रुपये दिये गये है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रक्षेत्र

54. अध्यक्ष महोदय, नेशनल ई–गवर्नेंस प्रोग्राम का कार्यान्वयन सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से सरकारी सेवा आम जनता तक सुलभ रूप से उपलब्ध कराने के लिए झारनेट, प्रज्ञा केन्द्र, ई–नागरिक तथा निबंधन एवं कोषागार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया चुका है। राज्य में 2,639 प्रज्ञा केन्द्र ऑनलाइन हो गये हैं। इन प्रज्ञा केन्द्रों से आम जनता को जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा आवासीय प्रमाण पत्र बिना प्रखण्ड कार्यालय गये मिलना प्रारम्भ हो गया है।

55. इसी दिशा में 18 सरकारी विभागों में E-Procurement (ई–प्रोक्यूरमेंट) की शुरूआत की गयी है। इस प्रक्रिया में कोई भी निविदादाता टेंडर अवधि में इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। सारी प्रक्रिया डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से सम्पादित की जाती है। वर्ष 2011–12 में इसे सभी विभागों में लागू करने की कार्रवाई की जायेगी। झारखण्ड सरकार को E-Governance के लिए E-Governance Initiative Award एवं विडियो कान्फ्रेसिंग स्थापित करने के लिए Web Ratan Award भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। यह झारखण्ड राज्य के लिए सम्मान की बात है।

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण प्रक्षेत्र

56. अध्यक्ष महोदय, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत **इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** के तहत् गरीबी रेखा से नीचे 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के वृद्धों को 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की योजना है। वर्ष 2011–12 में 6,51,220 पेंशनधारियों को लाभान्वित करने हेतु कुल 334.21 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत 40 से 64 वर्ष के गरीबी रेखा से नीचे की विधवाओं को 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है। वर्ष 2011–12 में कुल 1,70,505 पेंशनधारियों को भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कुल 90.34 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

57. **इंदिरा गाँधी विकलांग पेंशन योजना** के अन्तर्गत 18 से 64 वर्ष के गरीबी रेखा से नीचे के विकलांग व्यक्तियों को 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है। वर्ष 2011–12 में 20,950 पेंशनधारियों को पेंशन देने हेतु कुल 22.44 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना के तहत् गरीबी रेखा से नीचे जीविकोपार्जन करने वाले परिवार के मुख्य अर्जनकर्त्ता पुरुष/महिला को, जिनकी आयु 18 से 64 वर्ष की आयु सीमा में है, को 10 हजार रुपये एकमुश्त भुगतान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 20 करोड़ रुपये के योजना Outlay का प्रावधान किया गया है।

58. **राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना** के अन्तर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के नि:शक्त वृद्धों तथा 18 वर्ष या अधिक आयु के विधवा, अपंग एवं बंधुआ मजदूरों को, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में

5,000 रुपये एवं शहरी क्षेत्र में 5,500 रुपये से अधिक नहीं है, को 400 रुपये की दर से पेंशन भुगतान करने का प्रावधान है। वर्ष 2011–12 में कुल 2,06,735 पेंशनधारियों को इस योजना का लाभ पहुँचाने हेतु 100.95 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

59. वित्तीय वर्ष 2011–12 में 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से राज्य में डोमचांच, आदित्यपुर, पोरैयाहाट, बगोदर, जरमुण्डी व सारवा प्रखण्डों में नये **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान** के निर्माण का प्रस्ताव है।

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास प्रक्षेत्र

60. अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास प्रक्षेत्र अन्तर्गत **वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये राज्य योजना मद में 600 करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया है। सरकार महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के प्रति गंभीर है, क्योंकि महिलाओं के कल्याण के बगैर स्वस्थ समाज के निर्माण की कल्पना बेमानी है।**

61. **पूरक पोषाहार कार्यक्रम** के अन्तर्गत 38,432 आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कुल 38,43,200 गर्भवती महिलाओं, छ: वर्ष से कम आयु के बच्चों, दूध पिलाने वाली माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत् सामान्य बच्चों पर 4 रुपये, कुपोषित बच्चों पर 6 रुपये, गर्भवती, धातृ माताओं पर 5 रुपये प्रति लाभुक प्रतिदिन राशि व्यय की जाती है। इस योजना से लाभुकों को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी एवं प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त होगा।

62. **स्वामी विवेकानन्द नि:शक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना** के द्वारा राज्य में निवास कर रहे विभिन्न श्रेणियों के नि:शक्त व्यक्तियों को राज्य सरकार की ओर से प्रतिमाह 200 रुपये की दर से प्रोत्साहन/सम्मान राशि के भुगतान का प्रावधान है। वर्ष 2011–12 में इस योजना के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपये का व्यय कर 2 लाख लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

63. **मुख्यमंत्री कन्यादान योजना** के अन्तर्गत गरीब लड़कियों के विवाह के अवसर पर राज्य सरकार

द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रति कन्या 10,000 रुपये भुगतान किया जाता है। वर्ष 2011–12 में कुल 10 करोड़ रुपये का व्यय कर 10 हजार कन्याओं को लाभान्वित किया जायेगा।

64. **विकलांग छात्रवृत्ति योजना** के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को 50 रुपये प्रतिमाह, कक्षा 9 से स्नातक तक सरकारी विद्यालयों/कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को 250 रुपये प्रतिमाह, सरकारी कॉलेजों में स्नातक स्तर से ऊपर Post Graduation करने वाले छात्रों को 260 रुपये प्रतिमाह एवं सरकारी आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को 100 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान करने का प्रावधान है। वर्ष 2011–12 में इस योजना के अन्तर्गत 73 लाख रुपये के व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

65. **डायन प्रथा प्रतिषेध योजना** के तहत् राज्य के वैसे जिलों जहाँ डायन प्रथा के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते है जैसे – पश्चिमी सिंहभूम, राँची, सरायकेला, बोकारो एवं देवघर जिलों में इस कुप्रथा के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जायेगा।

66. राज्य की निर्धन महिलाएँ एवं बच्चियाँ, जो दिल्ली, मुंबई, हरियाणा के भिन्न–भिन्न नगरों/कस्बों आदि स्थानों पर दाई का काम करने के लिये पलायन करती हैं, उन्हें अक्सर हिंसा, शोषण एवं बंधुआ मजदूरी का शिकार होना पड़ता है। इन महिलाओं एवं बच्चियों के पुनर्वास करने एवं पलायन को रोकने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है, जिस पर वर्ष 2011–12 में 40 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

67. **किशोरी शक्ति योजना एवं पायलट परियोजना** को मिलाकर भारत सरकार द्वारा एक नई योजना ''सबला'' आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत् आँगनबाड़ी केन्द्र आ रही, पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों तथा सभी लड़कियों को घर ले जाने वाले राशन के रूप में पूरक पोषाहार प्रदान किया जायेगा। किशोरियों को 300 दिन पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना पर भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत राशि का वहन किया जायेगा। इन योजनाओं को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण तक चलाया जाना है।

वन एवं पर्यावरण प्रक्षेत्र

68. अध्यक्ष महोदय, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा राज्य योजनान्तर्गत कुल 16 योजनाएँ एवं 4 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लागू करने का प्रस्ताव है। राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये 100 करोड़ रुपये योजना उद्व्यय निर्धारित किया गया है। वृक्षारोपण के लिये पूर्व से चली आ रही छः योजनाओं को मिलाकर एक नयी योजना चालू की जायेगी। यह वित्तीय वर्ष 2011–12 से प्रभावी होगा। परन्तु, इसमें शहरी वानिकी योजना शामिल नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में शीशल रोपण की 140 हेक्टेयर में सम्पोषण कार्य एवं 100 हेक्टेयर में समापन कार्य किये जायेंगे। इसी प्रकार, आम वृक्षा रोपण की चलाई जा रही योजनाओं के अधीन कुल 185.03 हेक्टेयर में सम्पोषण के कार्य का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 100 हेक्टेयर में शीशल रोपण हेतु अग्रिम कार्य का भी प्रस्ताव है।

69. पथ तट वृक्षारोपण–सह–शहरी वानिकी के तहत् वित्तीय वर्ष 2011–12 में 64,500 गैबियन में वृक्षारोपण और शहरों में अथवा उसके आसपास अवस्थित पहाड़ियों को हरा–भरा करने के लिये 500 हेक्टेयर भूमि में वन रोपण के लिये अग्रिम कार्य का प्रस्ताव है।

70. **स्थायी पौधशाला एवं Seed Orchard योजना** को वित्तीय वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड के उन्नयन एवं रखरखाव संबंधित कार्य किये जायेंगे। झारखण्ड राज्य के जैविक उद्यानों के समुचित विकास एवं संचालन हेतु झारखण्ड चिड़िया घर प्राधिकरण गठित किया गया है। उद्यानों के विकास हेतु 13 करोड़ रुपये अनुदान स्वरूप दिये जाने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष में State Bio Diversity Council को और प्रभावी बनाया जायेगा

ऊर्जा प्रक्षेत्र

71. ऊर्जा प्रक्षेत्र को मजबूत करने के लिये सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। वर्त्तमान में TVNL द्वारा 420 मेगावाट उपरी क्षमता के विरुद्ध 390 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। पतरातू की इकाई संख्या 4 एवं 6 से लगभग 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र के

जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। बंद इकाई संख्या 10 से अगस्त, 2011 एवं इकाई संख्या 9 से अक्टूबर, 2011 तक उत्पादन प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की बंद पड़ी इकाई संख्या 1 एवं 7 के Restoration की कार्रवाई की जायेगी। JSEB को रिसोर्स गैप के रूप में दी जाने वाली राशि 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ताकि लोगों को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति हो सके।

72. **राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना** के तहत् 19,307 गाँवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध 16,035 गाँवों का कार्य पूरा कर लिया गया है एवं 8,584 गाँवों को Electrifical (ऊर्जान्वित) भी किया जा चुका है। इसी योजना के तहत् 18,82,028 BPL परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध 10,13,555 विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं एवं 4,71,149 को Electrify भी किया गया है। शेष गाँवों का विद्युतीकरण वर्ष 2011–12 में पूर्ण किया जायेगा। विद्युत के क्षेत्र में आशातीत सुधार हेतु 1,600 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध राज्य योजना मद में किया गया है।

73. सुदूर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 447 सुदूर unelectrified गाँवों को सोलर उपकरणों से electrify किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 232 ऐसे ही गाँवों को electrify करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम अन्तर्गत 1,295 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गयी है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 1,000 बायोगैस के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2011–12 में 1,000 नये बायोगैस स्थापित किये जायेंगे।

खेलकूद एवं युवा कार्य प्रक्षेत्र

74. झारखण्ड राज्य का खेल के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खिलाड़ियों ने झारखण्ड राज्य का मान बढ़ाया है। फरवरी, 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल का भव्य आयोजन किया गया। जिस प्रकार के आधारभूत संरचना झारखण्ड राज्य में तैयार हुआ है, ऐसी संरचना पूरे हिन्दुस्तान में मिल पाना मुश्किल है। 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखण्ड राज्य के खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। 33 स्वर्ण पदक जीत कर झारखण्ड राज्य राष्ट्रीय खेल में पाँचवें स्थान पर रहा। झारखण्ड

राज्य के लिये यह एक गौरव की बात है। इन खिलाड़ियों ने झारखण्ड के नाम को रौशन किया है। खेल की आधारभूत संरचनाओं के सदुपयोग हेतु शीघ्र ही सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिये जायेंगे। **इसके लिये वर्ष 2011-12 में 75 करोड़ रुपये का outlay निर्धारित किया गया है। इस राशि से जिला, अनुमण्डल तथा प्रखण्ड स्तर पर नये स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा।**

पंचायती राज प्रक्षेत्र

75. **अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राज्य में पंचायत चुनाव को समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का निर्णय लिया था। पंचायत चुनाव का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित रहने के कारण इसे सम्पन्न नहीं कराया जा सका था। परन्तु, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले के निष्पादन किये जाने के फलस्वरूप हमारी सरकार ने अपनी वचनबद्धता को पूर्ण कर अविलम्ब सफलतापूर्वक पंचायत चुनाव कराया।** नक्सलवादी संगठनों की धमकी के बावजूद 60-70 प्रतिशत मतदान हुआ। आम जनों ने सक्रिय रूप से ग्राम स्तरीय लोक चुनाव सम्पन्न कराने में भागीदारी ली। वर्ष 2011-12 में इन नव निर्वाचित संस्थाओं को सक्रिय बनाने की कार्रवाई की जायेगी। विकास योजनाओं में इनकी भागीदारी को बढ़ाया जायेगा। पंचायतों को मजबूती प्रदान करना हमारा लक्ष्य है -

''पहचान हमें नई बनानी है,
जन-जन के चेहरों पर मुस्कान लानी है।''

76. पंचायती राज विभाग द्वारा किये जा रहे विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इस मद में 900 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध किया जा रहा है। राज्य के 14 पिछड़े एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों के लिए **समेकित कार्य योजना** स्वीकृत की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये की दर से 350 करोड़ रुपये की राशि 14 जिलों को आवश्यकतानुरूप योजनाओं के लागू करने हेतु विमुक्त की गयी है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में 30 करोड़ प्रति जिले की दर से 420 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध किया जा रहा है। भटके युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनका विश्वास जीतने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। समेकित कार्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मात्र 14 जिलों को ही राशि उपलब्ध करायी जा

रही है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा शेष 10 जिलों को भी इसी योजना की तर्ज पर राशि उपलब्ध कराने का पर विचार किया जा रहा है।

गृह प्रक्षेत्र

77. अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य के 16 जिले नक्सल प्रभावित हैं। नक्सल की समस्याओं से निबटने हेतु प्रशासनिक पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाया गया है। उग्रवादी घटनाओं के समस्या से यह स्पष्ट होता है कि घटना कुपित रूप से एक रणनीति के तहत कार्यान्वित की जाती है। इस पृष्ठभूमि में यह आवश्यक है कि संस्थागत व्यवस्था में मदद किया जाय, जिससे कि समय–समय पर सुधारात्मक कदम उठाया जा सके।

78. राज्य के विघटनकारी तत्वों से निबटने के लिए खुफिया तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु विशेष शाखा को पुनर्गठित कर अलग सम्वर्ग बनाया गया है। इस संघटन को स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु सक्षम बनाया जा रहा है। इसी दिशा में राज्य में एक इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, Cyber Security एवं सर्विलेंस यूनिट के गठन का लक्ष्य है।

79. पुलिस प्रशासन में व्याप्त सुधार हेतु नये पुलिस मैनुअल अधिनियमित करने की कार्रवाई की जायेगी। राज्य सुरक्षा आयोग एवं पुलिस स्थापना परिषद् का गठन कर लिया गया है। राज्य में पुलिस आबादी अनुपात को ध्यान में रखते हुए 92 नये थानों को स्थापित किया गया है। नये थानों को संसाधन एवं आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु क्रमबद्ध कार्रवाई की गयी है, जिससे राज्य के सुरक्षा में व्यापक सुधार हो सके।

80 उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद से निपटने हेतु भूतपूर्व सैनिकों का एक पलटन तैयार किया जायेगा। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों एवं उद्योगों की सुरक्षा हेतु राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की एक बटालियन की स्वीकृति दी गयी है। इनमें नियुक्ति की कार्रवाई वर्ष 2011–12 में पूर्ण कर ली जायेगी।

81. राज्य सरकार द्वारा Jungle Warfare School की स्थापना की गयी है। इस विद्यालय के उत्क्रमण हेतु 13 वें वित्त आयोग से भी राशि प्राप्त हुई है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में गृह विभाग के विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपये का Plan Outlay (योजना उद्व्यय) निर्धारित किया गया है।

82. **राज्य में सिपाही/आरक्षी के लगभग 18,000 पद रिक्त हैं। इनमें से 11,000 पदों पर वर्ष 2011-12 में नियुक्ति की जायेगी, ताकि बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके। इसके अतिरिक्त दारोगा के 850 रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की कार्रवाई 2011-12 में पूरी कर ली जायेगी।**

शिक्षा प्रक्षेत्र

83. **शिक्षा प्रक्षेत्र के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 1200 करोड़ रुपये का Plan Outlay (योजना उद्व्यय)प्रस्तावित किया जा रहा है,** जो वर्त्तमान प्रावधान से 22 प्रतिशत अधिक है। मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा प्राथमिक, मध्य एवं उच्च शिक्षा प्रक्षेत्रों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा प्रक्षेत्र के लिए 924.75 करोड़ रूपये की योजनाएँ प्रस्तावित हैं। राज्य में सभी को शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 675 करोड़ रूपये कर्णांकित की जा रही है।

84. कुल 203 लक्ष्य के विरुद्ध 198 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2011-12 में शेष 5 विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। इस कार्य हेतु 20 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध किया जा रहा है।

85. **Mid Day Meal** के अंतर्गत राज्य के 44,055 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 40 लाख छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण Mid Day Meal उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य योजना मद में इस योजना हेतु कुल 196 करोड़ रुपया का बजटीय उपबंध किया जा रहा है।

86. राज्य के कक्षा 1-8 के अंतर्गत सभी छात्रों एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी छात्रों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था से सामान्य एवं पिछड़ी जाति के ही छात्र वंचित रह जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कक्षा 1-8 तक नामांकित **सभी कोटि के छात्रों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें** उपलब्ध करायी जायेंगी। इस योजना हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 8 करोड़ रूपये का बजट उपबंध किया जा रहा है।

87. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम राज्य में प्रारम्भ हो गया है। यह एक केन्द्र प्रायोजित

योजना है। यद्यपि भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक व्यय का निर्धारण नहीं किया गया है। राज्य योजना मद से 31 करोड़ 13 लाख रुपये का बजटीय उपबंध किया जा रहा है।

88. केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक रूप से पिछड़े 203 प्रखण्डों में केन्द्रीय विद्यालयों के तर्ज पर मॉडल विद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत राशि का व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीज 75:25 के अनुपात में किया जायेगा। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2011–12 के बजट में 32 करोड़ रुपये का उपबंध प्रस्तावित है।

89. नेतरहाट विद्यालय के कुशल संचालन हेतु एक उच्चस्तरीय बोर्ड, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित किया गया है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के विकास हेतु सभी प्रकार के निर्णय इस बोर्ड द्वारा लिये जायेंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में नेतरहाट आवासीय विद्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु 25.00 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध किया जा रहा है।

90 राज्य सरकार द्वारा कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय का Upgradation कक्षा 12 तक किया गया है। इन विद्यालयों को कक्षा 12 तक Upgrade करने के राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 11–12 में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं 9–12 तक में नामांकन किया जायेगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए कुल 85.00 करोड़ रूपये का बजटीय उपबंध आगामी वित्तीय वर्ष से किया जा रहा है।

कल्याण प्रक्षेत्र

91. कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ कई कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जा रही हैं। संविधान की 15 वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुरूप Jharkhand Tribal Advisory Council का पुर्नगठन किया जा चुका है। इस परिषद के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए किए जा रहे विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की जा रही है।

92. कल्याण प्रक्षेत्र में योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना के तहत वर्ष 2011–12 के लिये 655 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो वर्त्तमान बजट से 37 प्रतिशत अधिक है। अनुसूचित

जाति के कल्याण हेतु 95.07 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजातियों के लिये 526.08 करोड़ रुपये, पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु 140.30 करोड़ रुपये तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 108.50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया जा रहा है।

93. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्राओं का शिक्षा स्तर ऊँचा करने एवं उनका Drop Out Rate कम करने के उद्देश्य से चलाई जा रही नि:शुल्क साईकिल वितरण योजना वर्ष 2010–11 में 1 लाख 30 हजार साईकिलों का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजना पर कुल 90 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव है। 9 नक्सल प्रभावित जिलों जैसे लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा, बोकारो तथा हजारीबाग में आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु राशि की स्वीकति प्रदान कर दी गई है। वर्ष 2011–12 में इसे चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। अल्पसंख्यक कल्याण के अंतर्गत कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी, अल्पसंख्यक छात्रावासों का निर्माण, युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजनाओं को वर्ष 2011–12 में चालू रखा जायेगा।

नगर विकास प्रक्षेत्र

94. राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव सम्पन्न कराये जा चुके हैं। JnNURM के अन्तर्गत राँची, धनबाद एवं जमशेदपुर शहर में क्रमश 70, 48 एवं 50 नगर बसों का परिचालन प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी नगर निकायों को E-Governance (ई–गवर्नेंस) के तहत् जोड़ने का कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत State Data Centre एवं धनबाद नगर निगम के लिये Pilot Project हेतु योजना की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस कार्य का कार्यान्वयन JAP-IT के माध्यम से कराई जा रही है। इस योजना हेतु 21 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

95. राँची में 288 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल जलापूर्ति योजना लागू की गई है। धनबाद Phase II जलापूर्ति योजना स्वीकति के अंतिम चरण में है। धनबाद, राँची एवं जमशेदपुर में Solid Waste Management के लिये क्रमश: 44, 51 तथा 33 करोड़ रुपये की योजनाएँ भारत सरकार से JnNURM के तहत् स्वीकृत हुआ है। राँची में यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। JnNURM के अन्तर्गत ही 26 करोड़ रुपये

की आदित्यपुर शहरी जलापूर्ति योजना भारत सरकार को स्वीकृति के लिये भेजी जा चुकी है। इसके अलावा जमशेदपुर एवं धनबाद में Sewerage एवं Drainage के लिये क्रमश: 146 तथा 225 करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार के स्वीकृति के लिये भेजी गई है। स्वीकृति के पश्चात् काम कराया जायेगा। झारखण्ड देश का पहला राज्य है, जहाँ सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है।

परिवहन प्रक्षेत्र

96. **अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य में रेल यातायात के विस्तारीकरण हेतु कुल छ: रेल परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं। वर्ष 2002 में प्रारम्भ की गई परियोजनाओं की लागत 1997 करोड़ रुपये से बढ़कर 3403 करोड़ रुपये हो गई है।** इन रेल परियोजनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से वर्ष 2011–12 में रेल परियोजनाओं हेतु 420 करोड़ 25 लाख रुपये का उपबंध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गोड्डा–हंसडीहा रेल लिंक योजना को वित्तीय वर्ष 2011–12 की कार्य योजना में रेल मंत्रालय द्वारा शामिल कर लिया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 143.90 करोड़ रुपये है, जिसे केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से पूर्ण किया जायेगा। **परिवहन विभाग के लिये आगामी वित्तीय वर्ष की योजनाओं को लागू करने के लिये कुल 455 करोड़ रुपये का** Plan **Outlay (योजना उद्व्यय) निर्धारित** किया गया है।

97. अध्यक्ष महोदय, राज्य को प्राप्त हो रहे राजस्व में परिवहन विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्व उगाही में वृद्धि को लक्ष्य करते हुये राज्य में **कुल 08 अस्थायी चेक पोस्टों की स्थापना** की गई है। अस्थायी चेक पोस्ट के निर्माण के फलस्वरूप परिवहन विभाग को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने में सफलता मिली है। राज्य के अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थाई चेक पोस्ट निर्माण करने की योजना प्रस्तावित है।

वाणिज्य–कर प्रक्षेत्र

98. अध्यक्ष महोदय, वाणिज्य–कर के रूप में राज्य को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। राज्य के व्यवसायियों को निबंधन व कर भुगतान में हो रही कठिनाईयों को समाप्त करने के लिए **साईबर ट्रेजरी का गठन** कर लिया गया है, जिसके माध्यम से राज्य के व्यापारियों को टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करने का लाभ प्राप्त होगा।

वित्तीय वर्ष 2011–12 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा सी.एस.टी. फार्म को ऑनलाइन निर्गत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर राज्य के व्यापारियों को सूचना प्रौद्योगिकी का पूर्ण लाभ मिलेगा तथा सारे कार्य कम्प्यूटरीकृत्त विवरणी में ऑनलाइन किये जा सकेंगे।

उत्पाद एवं मद्य निषेध

99. अध्यक्ष महोदय, राज्य में नयी उत्पाद नीति लागू की गयी है। परन्तु, ऐसा देखा जा रहा है कि राज्य में मदिरा व्यवसाय पर कुछ व्यवसायिक समुदायों का एकाधिकार स्थापित हो गया है। इस एकाधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य विवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड **(Jharkhand State Beverage Corporation Limited)** का गठन किया गया है। वर्ष 2011–12 से इस कॉरपोरेशन के माध्यम से ही मदिरा की आपूर्ति की जायेगी। इस नयी व्यवथा को लागू किये जाने के फलस्वरूप मदिरा आपूर्त्ति में Transparency बनेगी तथा राजस्व में भी काफी वृद्धि होने का अनुमान है।

100. अवैध मदिरा की बिक्री को रोकने के लिए बोतलों पर झारखण्ड राज्य में होलोग्राम चिपकाने की प्रक्रिया एवं तत्संबंधित नीति प्रदत्त करने का लक्ष्य है, जिससे शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण मदिरा उपलब्ध हो सकेगी एवं राजस्व की क्षति पर भी प्रभावी रूप से अंकुश लग सकेगा।

निबंधन प्रक्षेत्र

101. अध्यक्ष महोदय, **झारखण्ड देश का पहला राज्य है, जहाँ सुचारू रूप से कम्प्यूटरीकृत्त पद्धति से दस्तावेजों का निबंधन ऑनलाइन किया जा रहा है।** इससे आम जनता को निबंधित अभिलेख निबंधन के आधे घंटे के अन्दर वापस उपलब्ध करा दिया जाता है। इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गैर न्यायिक मुद्रकों का मुद्रण **ई–स्टैंपिंग** के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव है। इस पद्धति को लागू करने से आम जनता को गैर मुद्रकों की उपलब्धता आसान हो जायेगी। ऐसा हो जाने से **ई–स्टैंपिंग के माध्यम से कार्य करने वाला झारखण्ड देश का छठा राज्य हो जायेगा।**

आर्थिक स्थिति

102. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालना चाहूँगा। वर्ष 2010-11 में प्रचलित दरों पर आधारित झारखण्ड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,38,028 करोड़ रुपये का आकलन किया गया है, जो कि वर्ष 2009-10 के 1,20,929 करोड़ रुपये की तुलना में 13.70 प्रतिशत अधिक है।

103. वर्ष 2010-11 में प्रति व्यक्ति आय 38,350 रुपये अनुमानित है, जो कि वर्ष 2009-10 की प्रति व्यक्ति आय 34,459 रुपये की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है।

104. वर्ष 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित दर पर 14.14 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा जा रहा है तथा प्रति व्यक्ति आय को 42,761 रुपये करने के लिये हर संभव प्रयास किया जायेगा।

वर्ष 2011-12 का बजट अनुमान

105. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2010-11 के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

106. वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये राज्य को विभिन्न स्रोतों से 27,746.16 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। राज्य कर से 7,840.03 रुपये तथा कर भिन्न राजस्व के रूप में 3,222.79 करोड़ रुपये का अनुमान है।

107. केन्द्र सरकार से योजना एवं गैर योजना मद में सहायता के रूप में कुल 9,290.04 करोड़ रुपये का आकलन किया गया है। ऋण एवं ब्याज के रूप में कुल 34.12 करोड़ रुपये के आय का आकलन है। केन्द्रीय कर में हिस्सेदारी के रूप में कुल 7,393.30 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की संभावना है।

108. वित्तीय वर्ष 2011-12 में 16,096.77 करोड़ रुपये गैर योजना मद में व्यय का आकलन किया गया है। गैर योजना मद में राज्यकर्मियों के वेतन भुगतान हेतु कुल 7,052.96 करोड़ रुपये का अनुमान है। इसी प्रकार, राज्य के पेंशनभोगियों के लिये पेंशन मद में कुल 2,019.09 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। 2,394.87 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान हेतु अनुमानित है।

109. वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य योजना के अन्तर्गत कुल 15,300 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि वर्ष 2010-11 की तुलना में 5,710 करोड़ रुपये अधिक है।

110. केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1,294.20 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय योजनागत् योजना के अन्तर्गत कुल 430.73 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इस प्रकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत् योजना के तहत् कुल 1,724.93 करोड़ रुपये की योजनायें तैयार की गई हैं।

111. इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये कुल 17,024.93 करोड़ रुपये की योजनायें तैयार की गई हैं। कुल योजनाओं की 55 प्रतिशत का व्यय राजस्व् व्यय हेतु किये जाने का प्रस्ताव है, जबकि कुल व्यय का 45 प्रतिशत पूँजीगत् व्यय के रूप में प्रावधान किया गया है।

112. इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये कुल 33,121.70 करोड़ रुपये की राशि के व्यय का आकलन किया गया है। जबकि, ऋण को छोड़कर राज्य के कुल संसाधनों से 27,780.28 करोड़ रुपये प्राप्ति का आकलन किया गया है।

113. राज्य की निर्धारित योजना आकार के अनुरूप व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल सकल रूप से 5,341.42 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

राजकोषीय स्थिति

114. अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्वयं के राजस्व में गत् वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यगण को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन्हीं प्रयासों के कारण गत् वर्षों के समान वर्ष 2011-12 के बजट में भी 3,708.39 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य अनुमानित है।

115. राज्य का राजकोषीय घाटा कुल 3,865.77 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.80 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि विकासोन्मुखी व्यय में लगातार वृद्धि के बावजूद गत् वर्षों में सकल वित्तीय घाटा '' **FRBM Act (राजकोषीय**

उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम)'' में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप रहा है तथा इस बजट में भी इसे निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप रखने में हम सफल रहे हैं।

116. अध्यक्ष महोदय इन्हीं शब्दों के साथ मैं गैर योजना मद में 16,096.77 करोड़ रुपये तथा योजना मद में 17,024.93 करोड़ रुपये, यानि कुल 33,121.70 करोड़ रुपये का बजट सदन को समर्पित करता हूँ और अंत में इन दो पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा :–

''कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं।
जीता वही जो डरा नहीं।''

जय झारखण्ड !

जय भारत !!